

Deepak Maheshwari

Principal Secretary
Justice Department
Government of Rajasthan



सत्यमेव जयते

Main Building, Room No. 1012
Government Secretariat, Jaipur-302 005
Phone : 0141-2227531
PBX : 0141-5153222/21426-21427
Fax : 0141-2227916

D.O. No. F1(10)Meeting/Justice/2013-part/461

Date: 6-11-15

Dear Meena ji,

In a monthly review meeting of the Justice Department held on 4.11.2015 under the Chairmanship of the Hon'ble Minister (Justice) the Hon'ble Minister (Justice) has observed that the information of your department on LITES is still incomplete. The information relating to financial stake in the Red-Category cases has not yet been provided by the department.

Therefore, it has been decided by the Hon'ble Minister (Justice) that a review meeting of the progress of your department related to the LITES (Litigation Information Tracking and Evaluation System) shall take place under him in his Chamber Room No. 2119, First Floor, secretariat at 12.00 AM on 23.11.2015.

You are, therefore, requested to send the information latest by 19-11-2015 in the Format-1, Format-3 and Format-5 available on Home Page-Circular/order of the site (www.lites.rajasthan.gov.in) to the Justice Department through e-mail at the justice-deptt@rajasthan.gov.in.

You are also requested to kindly make it sure to attend the meeting in person.

Yours faithfully,

(Deepak Maheshwari)

Shri O.P. Meena
Addl. Chief Secretary
Forest Department, Jaipur

आवश्यक/फैक्स द्वारा

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ 2 (2) 2015/विधि/प्रमुवस/10१86-10410 दिनांक: 16.11.15

प्रतिलिपि अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, जयपुर/ कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, जयपुर, संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/ भरतपुर/ कोटा/ उदयपुर/ जोधपुर/ बीकानेर संभाग, मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर/जोधपुर/ उदयपुर/कोटा/भरतपुर, मुख्य वन संरक्षक विभागीय कार्य, जयपुर/ परियोजनाएँ, कोटा /बनास परियोजना, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ कार्यालयों के संभाग स्तर/जिला स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारियों से निर्धारित प्रपत्रों (संलग्न) में सूचना प्राप्त कर आपके स्तर पर संकलित करा संकलित सूचना दिनांक 18.11.2015 तक आवश्यक रूप से ई-मेल JTLRFORREST@GMAIL.COM पर भिजवाते हुए फैक्स द्वारा भी भिजवाने का श्रम करें, ताकि प्राप्त सूचना संकलित कर मा. न्याय मंत्री महोदय द्वारा ली जाने वाली मीटिंग हेतु राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जा सके। निर्धारित प्रपत्र पृष्ठ भाग पर टंकित है।

प्रतिलिपि समस्त उप वन संरक्षक/वन बन्दोबस्त अधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आपके कार्यालय से संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र -1, प्रपत्र 3 एवं प्रपत्र 5 में तत्काल फैक्स द्वारा संबंधित मुख्य वन संरक्षक को भिजवाते हुए इस कार्यालय को भी भिजवावें

उत्ति. प्रमारी कम्प्यूटर प्रभाग वेबसाइट पर अपलोड हेतु

(ए.के. सिंह)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
श्रम एवं विधि
राजस्थान, जयपुर।

वरिष्ठ

17/11/15

क्र.सं.	प्रकार / विवरण	1		2		3	4		5	6	7
		कुल निकास	न्यायालय प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2014 में कुल प्रकरण	निश्चित हुए		सामंजस प्रकरणों की संख्या	प्रतिदिन में कुल शेष प्रकरणों की संख्या			

Format -3

Ex-Parte Cases की समीक्षा की सूचना वास्ते निर्धारित सारिणी:

क्रमांक	प्रकरणों का विवरण	एक पक्षीय आदेश-दिनांक	एक पक्षीय आदेश हेतु उत्तरदायी	
			ऑफिस इंचार्ज (नाम व पद)	एडवोकेट का नाम

Format-5

Fortnightly Review of the Red Category Court Cases- by the State Nodal Officer.

Nodal Officer _____ Department _____

S.No.	Case Details	OIC Details	Advocate Details	Date of Review	Status of the case	Instruction given in the meeting	Remarks (Nature of the Red category with the amount at stake if any)

(Similar format for the non-Red Category case may be used).